पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता
की अनुपस्थिति होने हेतु तथा न्यायालय द्वारा की
ओर से गत पेशी दिनांक पर दिये गये निर्देशों
की पालना पूर्ण करने अपि 32सी० 0क की तामीली
पूर्ण करने हेतु बार-बार पर्याप्त अवसर दिये गये
अपीलार्थी के अधिवक्ता आज भी उपस्थित नहीं हुए।
और न ही गत निर्देशों की पालना पूर्ण नहीं की गई है
अतः अपीलार्थी की अपील को अधिवक्ता की
अनुपस्थिति में तथा अपना तकरीर में प्रारंभ
के नहीं है पत्रावली फैसल शुमार होकर
तरवार के का की तारीख अपीलीय न्यायालय
का मूल डिक्री आदेशिका की प्रमाणित सहित लौटाया
जावे।